

प्रबन्धक,
श्री अशोक गांगुली,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

तथा भी,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र 2 तय्यदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली ।

संलग्न दिनांक: 28 फरवरी, 1996.

शिक्षा 171 अनुभाग

विषय:- शारिषी विद्या मंदिर बरेली को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु
अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्ता विषय पर मुझे बड़ कठने का निदेश हुआ है कि शारिषी विद्या मंदिर
बरेली को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इत राज्ज सरकार
को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति नहीं है ।

- 111- विद्यालय की पंजीकृत सोताइटी का सम्य सम्य पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131- विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संबन्धित विद्यालयों में विभिन्न छात्रों के लिए निर्धारित इन्क के अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से/बिना शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कोसिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट इन्जायनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

--2/-

(Signature)
Principal
Sharishi Vidya Mandir
to C.B.S.E.
2130

- 151- संस्था शिक्षक एवं शिक्षार्थ कर्मचारियों को राजकीय तहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्त्र देतमानों तथा अन्य भत्तों के सम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 161- कर्मचारियों की सेवा नहीं बनायी जायेगी और उन्हें तहायता प्राप्त अज्ञातकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्त्र सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 171- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181- विद्यालय का रिकार्ड नियमित प्रपत्र/पंजीकाओं में रखा जायेगा ।
- 191- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के प्रमाणोद्घरण के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिष्करण नहीं किया जायेगा ।
- 2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह तनिश्चित किया जाय कि दिनांक 15-11-95 के समयप्रानुसार विद्यालय द्वारा निजी भूखण हेतु कुछ ही गार्ड भूमि पर मानकानुस्य विद्यालय भूखण पांच वर्ष के अन्दर पूर्णतया निर्मित करवा लिया जायेगा और इसकी तूवना शासन को दी जायेगी ।
- 3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की वृद्ध या शिथिलता करती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

अधीन

अशोक गांगुली
संयुक्त तयिय ।

पुठ संख्या- 610111/15-8-161281/95, तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को तूवनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उ०प्र०, मडनऊ
- 2- मुख्यतयिय शिक्षा निदेशक, बोली ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, बरती ।
- 4- निरीक्षक, अंगुल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, मडनऊ ।
- 5- प्रपन्धक, महर्षि विद्या मंदिर, बरती ।

आज्ञा से,

(Signature)

अशोक गांगुली
संयुक्त तयिय ।

(Signature)
Principal

Maharishi Vidya Mandir
affiliated to C.B.S.E.
2130